

उपसं. 453/25

31-10-25

12  
प्राथमिक सेवा दिवस 2025  
53/2019/25

पार्थ-6

"खारा सुरक्षी आयेदन-पत्र"  
(राज. भू. राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136)

संवापें

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय  
मांडल

महोदय,

विषय:- राजस्व रिकॉर्ड में सुरक्षी के संबंध में।

सम्बंधित विषयसंबंधी विवेचन से कि ग्राम धोडास की  
जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 77 के खारा संख्या 102 169  
में गोपाल पुत्र हरकू दत्त (पिताजी का  
हरकू की वधायी हरकूलाल दत्त वर सुद्धि की जके।  
आतः उक्त सुरक्षी किये जाने के आदेश फरमान की कृपा करें।

प्रार्थी

दिनांक:-

(धोडास)

रिपोर्ट-पटवारी एवं भू.अ.निरीक्षक

महोदयजी,

निवेदन है कि ग्राम धोडास के राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 77 के  
खारा संख्या 102 169 में प्रार्थी का नाम गोपाल पुत्र हरकूलाल है। जबकि मुताबिक चलन  
आधार कांड व जानकारी के अनुसार खातेदार का सही नाम गोपाल पुत्र हरकूलाल  
जाना उचित है।  
अतः रिपोर्ट श्रीमान की सेवा में पेश है।

भू.अ.नि.

20/9/25

Sudesh  
पटवारी / सुदेश कुमार  
पटवारी

रिपोर्ट तहसीलदार मांडल

पटवारी धोडास  
गोपाल (लवाड़ा)

प्रार्थी द्वारा रा.भू.राज. अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर  
राजस्व रिकॉर्ड में स्वयं का/पिता नाम दुरुस्त करवाने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र  
पर रिपोर्ट पटवारी धोडास व भू.अ.नि. पीयास एवं प्रार्थी द्वारा संलग्न दस्तावेज के आधार पर  
ग्राम धोडास की जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 77 की खारा संख्या 102 169 में प्रार्थी का  
नाम गोपाल पुत्र हरकू के यजाय गोपाल पुत्र हरकूलाल किये जाने हेतु अभिशंका की जाती है।

20/09/25  
तहसीलदार

तहसीलदार, मांडल  
जिला भीलवाड़ा

आदेश

मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार मांडल ग्राम धोडास जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 77 खारा  
संख्या 102 169 में दर्ज प्रार्थी का नाम गोपाल पुत्र हरकू के रथान पर गोपाल पुत्र हरकूलाल के  
आदेश दिये जाते हैं।

20/09/25  
उपखण्ड अधिकारी  
मांडल जिला भीलवाड़ा

2025/544